न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1614/2026

CNR No.UPBB 0100 3640 2026

समीर मिश्रा आयु लगभग 21 साल पुत्र मुरलीधर मिश्र, निवासी ग्राम रजऊ का पुरवा पोस्ट भीखी थाना अमानीगंज जिला फैजाबाद वर्तमान अयोध्या। ——————

प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं– 02/2026
धारा– 115(2), 109(1) बी एन एस
थाना– माती,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	**श्री देश दीपक मिश्रा**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**06.06.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**08.07.2026**

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह रामस्वरूप विश्वविद्यालय का छात्र है। दिनांक 23.04.2026 को गुरूवार लगभग 3.00बजे छुट्टी होने पर घर जा रहे थे तभी पेट्रोल पंप के पास कार सवार व मोटरसायकिल सवार कालेज के छात्र शिवम पाल, समीर मिश्रा, राधे कृष्णा पाण्डेय, ओम सिंह राजपूत, शुभ गुप्ता, मोहम्मद युसूफ शेख, संदीप पान्डेय, आरव सिंह, शिवानंद मिश्रा तथा व युवराज यादव तथा कुछ अज्ञात लोगों ने लोहे की रॉड व डन्डों से हमला कर जान से मारने की कोशिश की, मित्रों को फोन से सूचना दी जिनके द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया और वहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है तथा वहां से स्थिति गम्भीर होने के कारण वरूण का इलाज प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है जिसकी हालत नाजुक बनी हुयी है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। कथित घटना का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त छात्र है तथा वर्तमान में परीक्षा चल रही है। चोटहिल की चोटें साधारण प्रकृति की हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक

इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त को बी0ए0 का छात्र होने का कथानक है तथा वर्तमान समय में परीक्षा संचालित होने का कथानक है। प्रकरण छात्रों के मध्य विवाद/मारपीट का है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई विशिष्ट भूमिका घटना में नहीं बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का अपराध सह अभियुक्त के समान है।

अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त समीर मिश्रा द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्तगण को पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जायेः—

1—आवेदक/अभियुक्त अंकन 50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि की एक स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित थाना प्रभारी/विवेचक की सन्तुष्टि पर, आदेश की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

2—आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना पुलिस अधिकारी द्वारा कभी भी तलब किये जाने पर उपलब्ध रहेगें तथा दौरान विवेचना मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर यदि चोटहिलों की चोटें गम्भीर (Grievous) प्रकृति की पायीं जाती हैं अथवा अन्य गम्भीर अपराध में विवेचना परिवर्तित होती है तो विवेचक अग्रिम कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा।

3— आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके तथा दौरान अग्रिम जमानत प्रकरण से सम्बन्धित साक्षीगण को भयोपरत नहीं करेगें और न ही प्रभावित करने का प्रयास करेगा।।

4— आवेदक/अभियुक्त दौरान अग्रिम जमानत कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत देश नहीं छोड़ेगें और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो वह

उक्त पासपोर्ट को अविलम्ब पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के समक्ष जमा करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विवेचनाधिकारी आवेदक/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु यथोचित प्रार्थना पत्र देने के लिए स्वतन्त्र रहेगा।

दिनांक–08.07.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899